कार्यालय नगर पालिका मण्डल, नापासर (बीकानेर)

ग्राम नापासर, बीकानेर

क्रमांक : न.पा.ना./भूमि/2026-27/ 792 दिनांक : 20/7/26

प्रेषिति :
श्रीमती योगिता पत्नी मधुसुदन
बिग्गा बास, श्री डुंगरगढ़, बीकानेर

विषय : राजस्व ग्राम नापासर तहसील बीकानेर के खसरा नम्बर 2328/983 रकबा 0.9950 हैक्टर भूमिं में आवासीय योजना में अनुमोदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम नापासर तहसील बीकानेर के खसरा नम्बर 2328/983 रकबा 0.9950 हैक्टर भूमिं में आवासीय योजना में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने पर आपकों टाउनशिप पॉलिसी 2024 की पालना सुनिश्चित करते हुये निम्नाकिंत शर्तो के अधीन आवासीय योजना विकसित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

1. रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्र अनुसार ही विज्ञ तकनिकीविद् की देख-रेख में विकसित की जावेगी।
3. समस्त विकास टाउनशिप पॉलिसी-2024 के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही किये जाने होगें नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. टाउनशिप पॉलिसी-2024 2024 के अनुसार 2.00 हैक्टर तक की योजना के लिए 48 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यो हेतु निर्धारित है।
5. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजना स्थल पर बडे पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
6. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भूखण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
7. योजना में वृक्षारोपण प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार किया जाना होगा।
8. आन्तरिक विकास कार्यो हेतु 10 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या डी-12, डी-13, डी-30 एवं डी-31) भूखण्डों का पालिका के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना होगा।
10. बोरिंग/ट्युबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पीएचईडी को हस्तान्तरण किया जाना होगा।
11. योजना में विद्युतीकरण कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी नियमों के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित किया जाना होगा।

संलग्न : अनुमोदित योजना मानचित्र

अधिषाशी अधिकारी
नगर पालिका नापासर

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नापासर

☐ - पालिका रहन

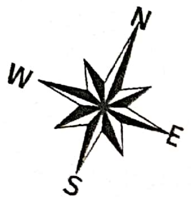

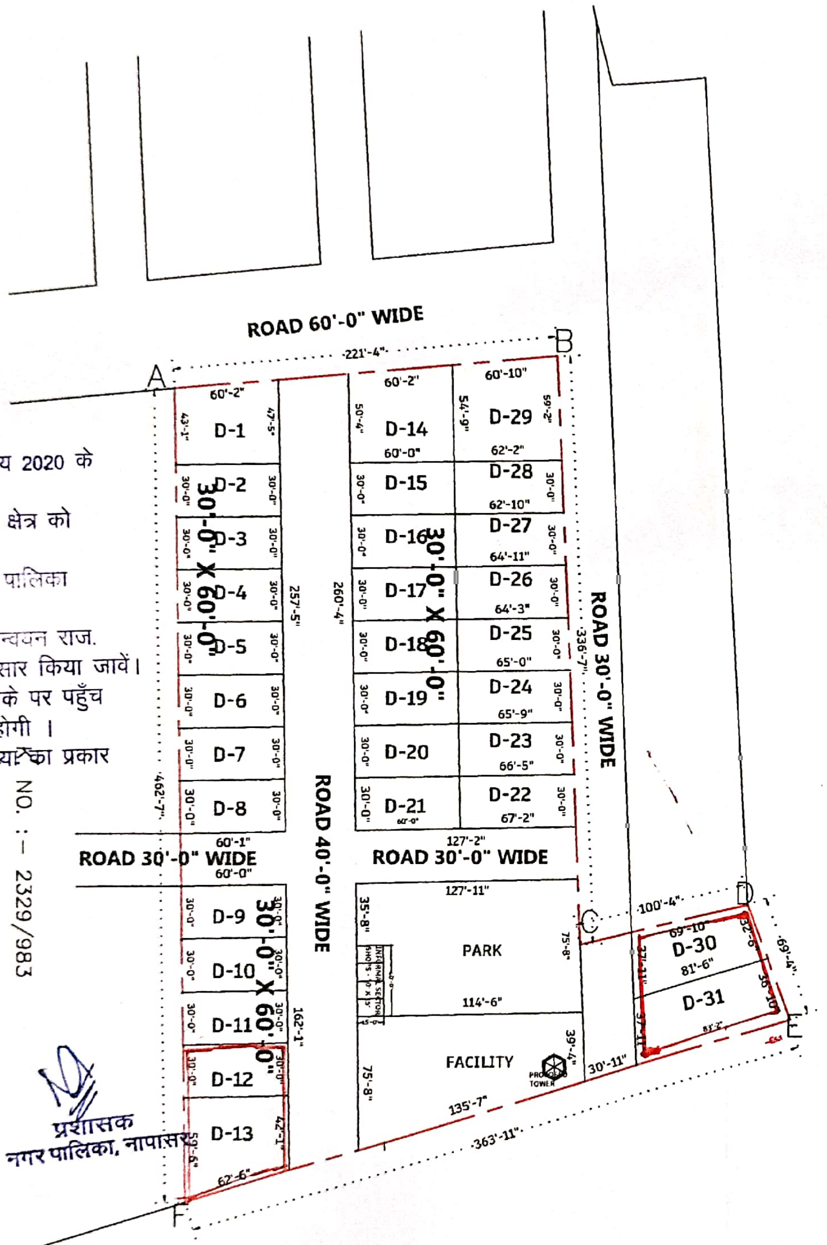

1. सेटबैक माडल राज. भवन विनिमय 2020 के अनुसार रखे जावें ।
2. एच.टी. साइन के नीचे आने वाले क्षेत्र को खुला रखा जावें ।
3. समस्त सड़क पार्क व खुला क्षेत्र पालिका में निहित हो ।
4. सुविधा क्षेत्र का निस्तारण/क्रियान्वयन राज. टाउनशिप पालिसी 2010 के अनुसार किया जावें।
5. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व मौके पर पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जानी होगी ।
6. स्वीकृत योजना में भू-खण्ड संख्या का प्रकार व्यवस्थित रूप से किया जावे ।

नगर पालिका नापासर के पत्रांक 1596 दिनांक 30.12.25 के द्वारा योजना का A से F तक का ले आऊट मानचित्र स्वीकृत किया जाता है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नापासर

प्रशासक
नगर पालिका, नापासर

कनिष्ठ अभियंता
नगर पालिका, नापासर

सहायक नगर नियोजक
नगर पालिका नापासर

ER. RAHUL VYAS

— — — A,B,C,D,E & F SCHEME KHASRA BOUNDARY

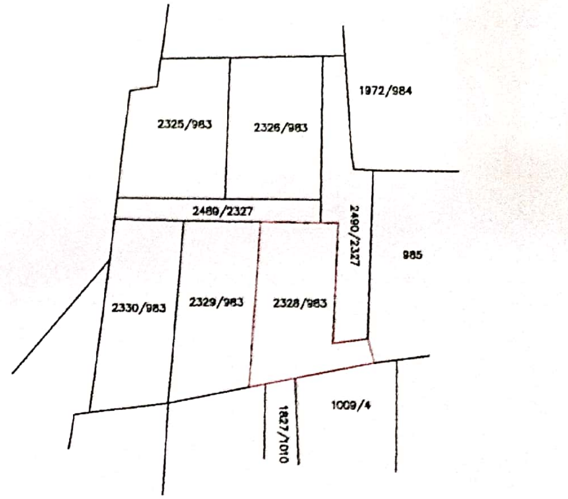

KHASRA PLAN

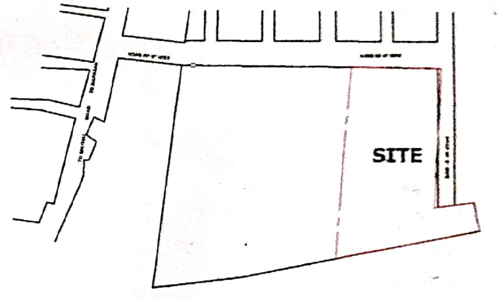

LOCATION PLAN

Area Statement

Sn.	Particulers	Sq.ft.	Sqm.	%
A	TOTAL RESIDENTIAL PLOTS	63421.737	5892.023	59.22%
B	INFORMAL SECTOR	600.000	55.741	0.56%
	A+B	64021.737	5947.764	59.78%
C	PARK	9715.000	902.546	9.07%
D	FACILITY	7490.000	695.838	6.99%
E	ROAD	25875.063	2403.852	24.16%
	TOTAL	107101.800	9950.000	100.00%

PROPOSED LAY-OUT PLAN OF RESIDENTIAL SCHEME

SMT. YOGITA

WIFE OF SH. MADHU SUDAN

KHASRA NO. :- 2328/983 GRAM NAPASAR,
TEHSIL BIKANER , DIST.BIKANER

Scanned with OKEN Scanner